NJESR/August-2023/Volume-5/Issue-8
DOI-10.53571/NJESR.2023.5.8.23-28

E-ISSN-2582-5836

ग्रामीण नेतृत्व एवं स्थायी समितियों, ग्राम सभा के मध्य अंतःसंबंध

डॉ.लक्ष्मण कुमार महिलकर (PDF ICSSR NEW DELHI)

शोध केन्द्र समाजशास्त्र विभाग
शासकीय विश्वानाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर
स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

Received:20 july2023/Revised: 5 August2023/Accepted:17 August2023/Published:31 August2023)

सारांशः— ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। यह जितनी उन्नत एवं संवैधानिक होगी, देश की ावस्था उतनी ही अधिक व्यवस्थित होगी। ग्रामीण नेतृत्व का ग्राम विकास में विशेष योगदान है, पंचायती राज के माध्यम ा ग्राम विकास के लिए समय समय पर विशेष प्रावधान किया जाता है। इस हेतु दो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें पहला ग्राम सभा का आयोजन, जो ग्रामीणों को ग्राम विकास के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। जिससे ामीण नेतृत्व ग्रामीणों के हित को ध्यान में रख कर कार्यों को संपादित करता है। दूसरा कदम स्थायी समिति का गठन। त्येक ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम विकास में भागीदार बनाकर ग्राम पंचायत में उनके अस्तित्व को पहचान दिया गया है।

प्रस्तावनाः— ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका बनी रहे और ग्रामीण नेतृत्व के प्रति ग्रामीणों का सकारात्मक व्यवहार स्थापित हो सके और ग्राम विकास में अपना योगदान को सक्रियता प्रदान करते हुए ग्रामसभा को और अधिक सशक्त एवं सफल बना सके। पंचायती राज के द्वारा ग्राम विकास के लिए उक्त प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण नेतृत्व का अहम् योगदान है। इस कारण ग्राम विकास में स्थायी समितियों, ग्राम सभा एवं ग्रामीण नेतृत्व के मध्य अंतः संबंध को स्पष्ट करने के लिए अध्ययन किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष ग्राम विकास, निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व एवं अन्य शोधार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. ग्राम विकास में स्थायी समितियों, ग्रामसभा एवं ग्रामीण नेतृत्व के मध्य अंतः संबंध को ज्ञात करना।

अध्ययन के उपकल्पना

1. संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवारों से ग्रामीण नेतृत्व का चयन अधिक हो रहा है।
2. पुरूष ग्रामीण नेतृत्व की तुलना में महिला ग्रामीण नेतृत्व का स्थायी समितियों एवं ग्राम सभा के प्रति कम सक्रिय रहते हैं।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त शोध पद्धति

Created by Universal Document Converter

(अ) अध्ययन ग्राम पंचायत एवं उत्तरदाताओं का चयन :–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 2009–2010 के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बालोद जिले के ग्राम पंचायत के निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व उत्तरदाता है तथा अध्ययन के लिए दो स्तरों में निदर्श चयन किया गया है, जिसमें प्रथम प्रत्येक तहसील के कुल ग्राम पंचायत का 5% अर्थात् 21 ग्राम पंचायत का चयन तथा द्वितीय चयनित ग्राम पंचायत से कुल 326 उत्तरदाताओं का अध्ययन हेतु चयन किया गया है, जिसमें अधिकांश सरपंच एवं उपसरपंच का चयन किया गया है। इस प्रकार बालोद जिले के कुल निर्वाचित ग्राम पंचायत के ग्रामीण नेतृत्व 6519 का 5%, 326 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है तथा दो स्तरों के निदर्श चयन में लाटरी पद्धति का उपयोग किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं का विवरण क्रमशः तालिका क्रमांक 1.1 में प्रस्तुत है।

तालिका क्रमांक 1.1
उत्तरदाताओं का विवरण

क्र.	जिला बालोद				कुल चयनित उत्तरदाता	
	तहसील	कुल निर्वाचित ग्रामीण नेतृत्व	कुल सरपंच	कुल पंच/ उप सरपंच	सरपंच	पंच/उप सरपंच
01	बालोद	0931	053	878	03	44
02	गुरूर	1232	072	1160	04	59
03	गुण्डरदेही	1748	106	1642	05	82
04	डौण्डी लोहारा	1689	107	1582	06	78
05	डौण्डी	0919	055	0864	02	43
महायोग		**6519**	**393**	**6126**	20+306=326	

तालिका क्रमांक 2.1
ग्राम विकास में स्थायी समितियों के योगदान पर उत्तरदाताओं का मत

क्र.	ग्रामीण नेतृत्व के पद	ग्राम विकास में स्थायी समितियों के योगदान पर मत			कुल योग
		बहुत हद तक	कुछ हद तक	नहीं के बराबर	
		आवृति (%)	आवृत्ति (%)	आवृत्ति (%)	आवृति (%)
01	सरपंच	11 (55.00)	008 (40.00)	001 (05.00)	020 (06.14)
02	उपसरपंच	10 (62.50)	004 (25.00)	002 (12.50)	016 (04.90)
03	पंच	76 (26.21)	100 (34.48)	114 (39.31)	290 (88.96)
	योग	**97 (29.75)**	**112 (34.36)**	**117 (35.89)**	**326 (100)**

Created by Universal Document Converter

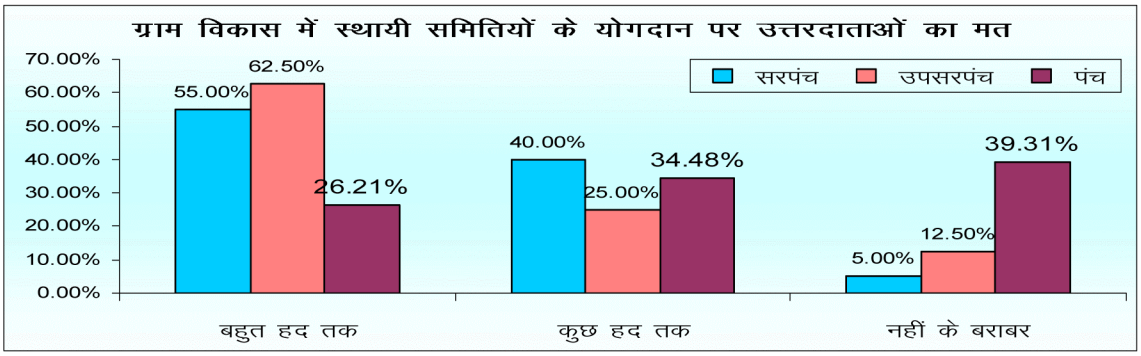

ग्राम विकास में स्थायी समितियों के योगदान पर उत्तरदाताओं के मत संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक 35.89 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं के बराबर योगदान मानते हैं, 34.36 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ हद तक योगदान मानते हैं, तथा 29.75 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत हद तक योगदान मानते हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है, कि सरपंच और उपसरपंच ग्राम विकास में स्थायी समितियों के योगदान अधिक मानते हैं।

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का संचालन सरपंच अपनी इच्छा के अनुरूप करता है, जिसमें उपसरपंच की मदद लिया जाता है तथा अन्य ग्रामीण नेतृत्व को स्थायी समितियों में केवल औपचारिकता पूर्ति के लिए शामिल करते हैं और अपनी मनमानी कर ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है।

तालिका क्रमांक 3.1

ग्रामसभा बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी

क्रमांक	ग्रामसभा बैठक की गणपूर्ति की जानकारी	आवृति	प्रतिशत
01	हाँ	278	85.27
02	नहीं	048	14.73
	योग	**326**	**100**

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक 85.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्रामसभा की बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी है तथा 14.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्रामसभा के बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी नहीं है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीण नेतृत्व को ग्रामसभा के अनिवार्य गणपूर्ति की जानकारी है, और अध्ययनगत समूह के ग्रामीण नेतृत्व ग्रामसभा के अनिवार्य गणपूर्ति को ग्राम विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान कर रहा है।

Created by Universal Document Converter

तालिका क्र 3.1.1

उत्तरदाताओं की जाति और ग्राम सभा बैठक की गणपूर्ति की जानकारी के मध्य सह–संबंध

क्रमांक	जाति	ग्राम सभा की गणपूर्ति की जानकारी				योग	
		हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
01	सामान्य जाति	005	83.33	01	16.67	006	01.84
02	अन्य पिछडी जाति	129	90.20	14	09.80	143	43.87
03	अनुसूचित जाति	024	47.05	17	52.95	051	15.65
04	अनुसूचित जनजाति	110	87.30	16	12.70	126	38.65
	योग	**278**	**85.28**	**48**	**14.72**	**326**	**100**

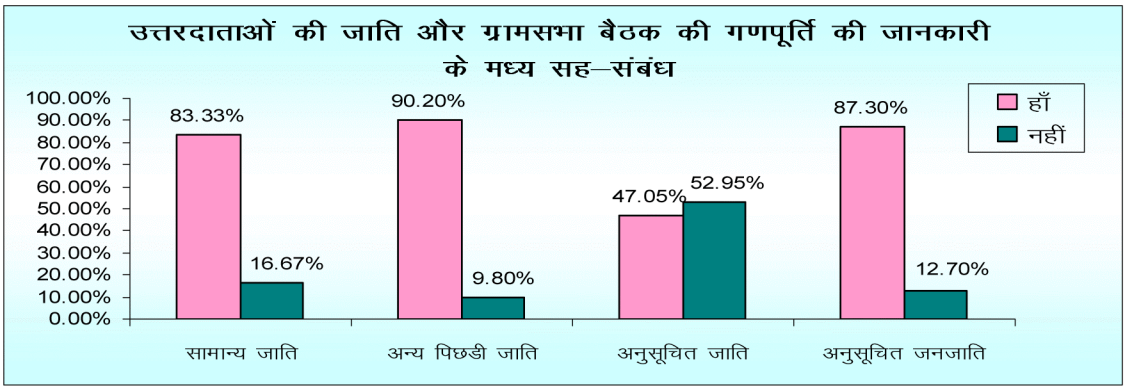

उपरोक्त तालिका में ग्राम सभा की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी के होने संबंधी विचारों का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 25.545 सारणी मान 07.815 से बहुत अधिक है, जो एक सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है, अर्थात् ग्राम सभा की गणपूर्ति की जानकारी को जाति प्रभावित करती है।

उक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट हो रहा है, कि सर्वाधिक 90.20 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी है, अतः कह सकते हैं, कि ग्राम विकास में अन्य पिछड़ी जाति के लोगों का योगदान अधिक हो रहा है तथा ग्राम विकास के लिए ग्रामसभा की सफलता का विशेष महत्व है।

निष्कर्ष

उत्तरदाताओं का लिंग संरचना संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि **सर्वाधिक 67.48** प्रतिशत उत्तरदाता **पुरूष** है तथा शेष 32.52 प्रतिशत उत्तरदाता महिला है, **अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम पंचायत में महिला ग्रामीण नेतृत्व की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के महिला आरक्षण प्रावधान के प्रतिफल है।**

उत्तरदाताओं की **आयु संबंधी अध्ययन** से स्पष्ट हुआ है, कि **सर्वाधिक 51.55** प्रतिशत उत्तरदाता **21–40 वर्ष तक के है**, 44.16 प्रतिशत उत्तरदाता 41–60 वर्ष के मध्य का है, व 61 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की प्रतिशत 04.29 है तथा विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक युवा पुरूष वर्ग से ग्रामीण नेतृत्व का चयन अधिक हो रहा है तथा सबसे कम वृद्ध वर्ग से अर्थात् ग्रामीण नेतृत्व चयन के परम्परागत तरीकों में परिवर्तन आ रही है। **ग्रामीण नेतृत्व में युवा वर्ग की तुलना में वृद्ध जनों की संख्या में कमी हो रही है, यह अध्ययन**

Created by Universal Document Converter

के प्रथम उपकल्पना के विपरीत निष्कर्ष है तथा इस निष्कर्ष की पुष्टि निम्न वर्णित पूर्व के अध्ययनों से भी हो रहा है।

एडवर्ड तथा हार्पर (1959) ने अपने अध्ययन में युवा वर्ग के ग्रामीण नेतृत्व चयन के रूप में परिवर्तन पाया है। इन्द्रासिंह (1967) ने अपने अध्ययन में पाया कि युवा वर्ग तथा शिक्षित व्यक्तियों का चयन ग्रामीण नेतृत्व में अधिक हो रहा है।

पाण्डे एवं जैन (1966) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष दिये हैं, कि अधिकांश ग्रामीण नेतृत्व सामान्य जाति से सम्बद्ध है, जबकि 1986 में आई.पी. देसाई ने अपने अध्ययन में ग्रामीण नेतृत्व चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों की संख्या में वृद्धि पाया है, इस प्रकार ग्रामीण नेतृत्व में आरक्षित वर्ग के लोगों को स्थान मिल रहा है, ग्राम विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहा है।

उत्तरदाताओं की **वैवाहिक स्थिति संबंधी** अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है, कि **सर्वाधिक 92.66 प्रति□ात उत्तरदाता विवाहित** है, तथा 03.68 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा, व 01.83 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर, एवं 01.83 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है, अतः **निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीण नेतृत्व में विवाहित ग्रामीण को अधिक प्राथमिकता दिया जा रहा है।**

उत्तरदाताओं के **परिवार का प्रकार संबंधी** अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि **सर्वाधिक 60.44 प्रति□ात उत्तरदाता संयुक्त परिवार से**, तथा 37.73 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार से एवं 01.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परिवार एक सदस्यीय है।

अतः निष्कर्ष निकलता है, कि एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार से ग्रामीण नेतृत्व अधिक चयन हुआ है, परन्तु यह निष्कर्ष प्रस्तुत शोध के द्वितीय उपकल्पना के विपरीत निष्कर्ष है तथा द्वितीय उपकल्पना का परीक्षण करने से भी ज्ञात हुआ है।

प्रस्तुत शोध में प्राप्त निष्कर्ष की **तुलना पूर्व के अध्ययन** से यह ज्ञात होता है कि दोनों प्रकार के परिवार से ग्रामीण नेतृत्व का चयन हो रहा है, जिसकी पुष्टि निम्न वर्णित पूर्व के अध्ययन से हुआ है।

डी.एस.यादव (1995) ने अपने अध्ययन में **संयुक्त परिवार से अधिक ग्रामीण नेतृत्व** चयन पाया है जबकि खारे (1995), चौधरी (1998), श्रीवास्तव (2003), देवनाथ (2005) तथा **तोमर (2007)** इत्यादि ने अपने अध्ययन में **एकाकी परिवार से अधिक** ग्रामीण नेतृत्व चयन बतलाया है, **अतः स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत क्षेत्र में परिवार का प्रकार की स्थिति जैसा होता है उसी के अनुरूप ग्रामीण नेतृत्व का चयन होता है।**

उत्तरदाताओं के परिवार का आकार संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 61.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का आकार मध्यम (4 से 6 सदस्य) है तथा 16.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का आकार वृहद(7 से 9 सदस्य) व 14.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का आकार अतिवृहद (10 से अधिक सदस्य) एवं 07.98 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का आकार लघु (1 से 3 सदस्य) है।

ग्राम विकास में स्थायी समितियों, ग्रामसभा एवं ग्रामीण नेतृत्व के मध्य अंतः संबंध की स्थिति को ज्ञात किया गया है। ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का गठन होने संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 84.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का गठन हुआ है तथा 15.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का गठन नहीं हुआ है।

उत्तरदाताओं द्वारा स्थायी समिति के निर्णय को ग्राम पंचायत बैठक में रखने संबंधी विवरण से यह ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 42.94 प्रतिशत उत्तरदाता स्थायी समिति के निर्णय को ग्राम पंचायत के बैठक में रखते हैं तथा 37.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिये एवं 19.94 प्रतिशत उत्तरदाता स्थायी समिति के निर्णय को ग्राम पंचायत के बैठक में नहीं रखते हैं बताया, अतः स्पष्ट है, कि स्थायी समिति गठित ग्राम पंचायत में स्थायी समिति के निर्णय को ग्राम पंचायत में विशेष स्थान दी जाती है।

स्थायी समितियों से ग्राम विकास की तीव्र गति होने संबंधी विचारों का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति के प्राप्त तथ्यों में काई वर्ग परीक्षण किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त परिकलित मान 144.088 सारणी मान 12.592 से बहुत अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है। अतः विश्लेषण से कह सकते हैं, कि स्थायी समितियों से ग्राम विकास की तीव्र गति होने संबंधी विचार को ग्रामीण नेतृत्व की जाति प्रभावित करता है। जाति के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व में सोचने एवं समझने की क्षमता विकसित होता है। संबंधित प्राप्त तथ्य से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 72.02 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ी जाति से व 66.67 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जाति का है, जो स्थायी समितियों से ग्राम विकास की तीव्र गति होने की विचारों को स्वीकार करते हैं, जबकि 69.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता स्थायी समितियों से ग्राम विकास की तीव्र गति होने संबंधी विचारों पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।

Created by Universal Document Converter

ग्रामसभा की बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी होने संबंधी विश्लेषण से ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 85.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्रामसभा की बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी है तथा 14.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्रामसभा के बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी नहीं है। उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है, कि ग्रामीण नेतृत्व को ग्राम सभा के अनिवार्य गणपूर्ति की जानकारी है, और अध्ययनगत समूह के ग्रामीण नेतृत्व ग्राम सभा के अनिवार्य गणपूर्ति को ग्राम विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान कर रहा है।

ग्रामसभा की गणपूर्ति (कोरम) की जानकारी होने संबंधी विचारों का विश्लेषण उत्तरदाताओं की जाति अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार किया गया है। विश्लेषण में प्राप्त काई वर्ग परीक्षण का परिकलित मान 25.545 सारणी मान 07.815 से बहुत अधिक है, जो दोनों में सार्थक सह–संबंध को दर्शाता है, अर्थात् ग्रामसभा की गणपूर्ति की जानकारी के होने संबंधी विचारों को जाति प्रभावित करती है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि सर्वाधिक 90.20 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी है। अतः कह सकते हैं कि ग्राम विकास में अन्य पिछड़ी जाति का योगदान अधिक हो रहा है और ग्राम विकास के लिए ग्रामसभा की सफलता का विशेष महत्व है।

ग्रामसभा, ग्राम विकास व ग्रामीण नेतृत्व के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होने संबंधी विवरण से ज्ञात हुआ है, कि सर्वाधिक 65.64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, कि ग्रामसभा, ग्राम विकास व ग्रामीण नेतृत्व के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही है तथा 30.03 प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उक्त संबंध में कह नहीं सकते, कहा है एवं 04.30 प्रतिषत उत्तरदाताओं का मानना है, कि ग्रामसभा, ग्राम विकास व ग्रामीण नेतृत्व के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम नहीं कर रहा हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है, कि ग्राम विकास में ग्रामीण नेतृत्व के योगदान के महत्व को ग्रामसभा पहचान दिलाती है और ग्रामीणों के बीच ग्रामीण नेतृत्व को लोक प्रिय बनाता है।

ग्रन्थ सूची

1 Bailey, F.G., Closed social satratification in India., Europion Janural of sociology: vol. 4, No. 1,1963.

2 Chauhan, B.R., Leadership in a Rajasthan village in India, op.cit.,1967.

3 Debe,P.C.and Agrawal, B.K., Rural leadership in crreem reuolution Research pubalication, Delhi, 1974.

4 अनिता, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013.

Created by Universal Document Converter